



जीएसटी करदाता ध्यान दें!

जिन करदाताओं का सकल वार्षिक
टर्नओवर* एक विनिर्दिष्ट सीमा* तक है
वे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी
कंपोजिशन योजना का विकल्प
31 मार्च, 2024 तक चुन सकते हैं

पात्र करदाता, जो कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने
के इच्छुक हैं, वे जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in)
पर निम्न प्रक्रिया द्वारा कंपोजिशन योजना का विकल्प
चुन सकते हैं:



करदाता इंटरफेस
पर लॉगिन करें



'Services > Registration >
Application to Opt for
Composition Levy'
पर जाएं



फॉर्म GST CMP-02
भर कर जमा करें

पहले से कंपोजिशन योजना का लाभ उठा रहे पात्र करदाताओं को
फॉर्म GST CMP-02 दाखिल करना आवश्यक नहीं है

आसान और
सुविधाजनक
अनुपालन

आकर्षक
कर दरें

न्यूनतम
अनुपालन
आवश्यकताएँ

माल एवं
सेवाओं की
आपूर्तिकर्ताओं
के लिए उपलब्ध

कम बही
खातों की
आवश्यकता

स्वतः
नवीकरण
और योजना
को छोड़ना
भी सरल

*

आपूर्तिकर्ताओं के प्रकार

#वित्तीय वर्ष 2023-24
में सकल वार्षिक टर्नओवर

माल के आपूर्तिकर्ता	08 विनिर्दिष्ट राज्यों में पंजीकृत करदाता	रु. 75 लाख तक
	अन्य राज्यों में पंजीकृत करदाता	रु. 150 लाख तक
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता		रु. 50 लाख तक

अधिक जानकारी के लिए
कृपया स्कैन करें



अधिक जानकारी के लिए कृपया सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10, सीजीएसटी नियम
3 से 7 और अधिसूचना सं. 14/2019-केंद्रीय कर दिनांक 07.03.2019, को देखें

जीएसटी कंपोजिशन योजना: छोटे करदाताओं के लिए बड़े लाभ

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड